Bill No. 10 of 2020

THE RAJASTHAN HOUSING BOARD (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Housing Board Act, 1970.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Housing Board (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2.Insertion of new sections 51-A, 51-B, 51-C and 51-D,Rajasthan Act No. 4 of 1970.- After the existing section 51 and before the existing section 52 of the Rajasthan Housing Board Act, 1970 (Act No. 4 of 1970), hereinafter referred to as the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

> **"51-A. Recovery of sum due to the Board as arrears of land revenue.-** Where any sum in respect of any premises or property payable to the Board, whether under any agreement, express or implied or otherwise, howsoever, is not paid on or before the due date into the office of the Board or to a person authorized by the Board, it shall be recovered as the arrears of land revenue, by the Board or the officer authorized on the behalf by it, in the manner as provided in the Rajasthan Land Revenue Act,1956 (Act No. 15 of 1956) and rules made thereunder, from the person in default.
>
> **51-B. Encroachment or obstruction upon premises or property belonging to the Board.-** (1) Whoever makes any encroachment on any premises or property which belongs to or vests in the Board shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than thirty

thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees:

Provided that the court may for any adequate or special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months.

(2) Whoever makes even temporary obstruction without prior permission of the Board in the way, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(3) The Board or any officer authorized by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of such removal shall be paid by the person who has caused the said obstruction or encroachment.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, after obtaining prior permission of the State Government, the Board or the officer authorized by it in this behalf shall, in addition to the action taken as provided in this section, also have power to seize or attach any property and vehicles found on the premises or property referred to in this section or, as the case may be, attached to such premises or property or permanently fastened to anything attached to such premises or property.

(5) Where any property is seized or attached by an officer authorized by the Board, he shall immediately make a report of such seizure or attachment to the Board.

(6) Where any property is seized or attached under sub-section (4), the Board may order confiscation of such property.

(7) No order for confiscating a property shall be made under sub-section (6) unless the owner of such property or the person from whom it is seized or attached is given-

(a) a notice in writing, informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the property;

(b) an opportunity of making a representation in writing within a maximum period of

seven days against the grounds of confiscation; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(8) The order of any confiscation and removal of encroachment under this section shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.

(9) Any person aggrieved by an order made by the Board under this section may within one month from the date of the communication to him of such order, appeal against it to the State Government.

(10) On such appeal the State Government, after giving an opportunity to the appellant and the respondent to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal, or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just.

(11) Whenever any property is seized or attached pending confiscation under this section, the Board or the State Government shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other court, tribunal or other authority shall not have jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal, release or distribution of such property.

(12) Where any person is prosecuted of an offence under sub-section (1) or sub-section (2), the burden of proving that he has not committed the offence shall be on him.

(13) Whoever, being an employee of the Board, or being on deputation with the Board from any department of the Government, specifically entrusted with the duty to remove or to stop or to prevent the encroachment or obstruction, himself encroaches or helps others to encroach, or willfully or knowingly, neglects or deliberately omits to remove or stop or prevent such encroachment or obstruction shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years or with fine which may extend to thirty thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance against such employee for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Board.

(14) No investigation of an offence under this section shall be made by an officer below the rank of the Inspector of Police. However, such investigation shall be completed and report shall be filed in the court within the period of three months from the date of filing First Information Report on behalf of the Board by the Housing Commissioner or the official authorized by him.

(15) It shall be lawful for the Housing Commissioner or the official authorized by him to lodge proceedings against the person who is likely to make encroachment upon any premises or property belonging to the Board before the Magistrate concerned, for preventing him from making any such encroachment and it shall be competent for the Magistrate, on being satisfied about the reasonableness of the apprehension of the Housing Commissioner, to require such person to execute a bond, with or without sureties, for his good behavior for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit. The procedure contained in Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall apply *mutatis mutandis* to the proceedings before the Magistrate under this sub-section as if such proceedings were the proceedings under section 107 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

51-C. Power to call for records.- (1) The State Government or any officer authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by the Board or any committee or officer of it, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that no record relating to an order or a resolution shall be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Board and on its officers and committees.

51-D. Power of Police Officer.- (1) Any Police Officer, not below the rank of a Inspector, authorized by the Board in this behalf, may arrest any person committing in his view any offence relating to encroachment or obstruction in any premises or property which belongs to the Board as provided under section 51-B of the Act or of any order or rules or regulations made thereunder, if the name and address of such person be unknown to him and he declines to give his name and address, or if the police officer has reason to doubt the accuracy of such name and address if given, and such person may be detained at the station house until his name and address shall be correctly ascertained:

Provided that no person arrested shall be detained without the order of the Judicial Magistrate longer than is necessary for bringing him before a Judicial Magistrate or twenty four hours at the utmost.

(2) It shall also be the duty of all police officers to give immediate information to the Board of the commission of any offence against the provisions of this Act or of any order, rule or regulation made thereunder, and to assist all members, officers and servants of the Board or any body thereof in the exercise of their lawful authority.".

3. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 4 of 1970.- For the existing section 60 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**60. Control by State Government.-** (1) The Board shall exercise its powers and perform its duties under this Act in accordance with the policy framed and the

guidelines laid down, from time to time, by the State Government for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Board shall perform any other functions that the State Government may designate in furtherance of the objectives of this Act. The Board shall comply with such directions, which may be issued from time to time, by the State Government for efficient administration of this Act.

(3) If, in connection with the exercise of the powers and the performance of the duties of the Board under this Act, any dispute arises between the Board and any other department of the State Government, the matter shall be decided by the State Government and its decision shall be final.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Housing Board Act, 1970 provides for measures to be taken to deal with and satisfy the need of housing accommodations in the State. For this, the Board is entrusted with the power to frame and execute various housing schemes in the State. The Board develops schemes on government land vested to it and land acquired by it from various cultivators. It takes a long period of time to develop and give a complete shape and form to these schemes. The procedure to hand over these developed schemes to the local bodies is also very lengthy. There is a risk and possibility of encroachment by Bhoo-mafia and any other person over these properties during this period. There exists no provision in the Act to remove such encroachment or obstruction on premises and property belonging to the Board and penalize the encroacher or obstructer.

The Board develops and allots built up houses on hire-purchase and installment basis to the allottees. Despite giving concessions and waiver of the interest and penalties, allottees do not deposit the sum due to them. The Board do not have any mechanism for recovery of such amount which causes exorbitant loss to the State Exchequer.

Also, there is no provision in the Act which empowers the State Government to review the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed by the Board. In order to enable State Government to call such record for examination necessary amendment is required.

Accordingly, suitable amendments are being proposed in the Act by way of insertion of new sections 51-A, 51-B, 51-C and 51-D.

Occasionally, disputes arise between the Board and any other department of the State during the performance of duties and exercise of powers by the Board. Therefore, it has been felt necessary to give the final adjudication power to the State

Government in such cases. Accordingly, section 60 of the Act is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शान्ती कुमार धारीवाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN HOUSING BOARD ACT, 1970

(Act No. 4 of 1970)

XX XX XX XX XX XX XX

60. Government's power to give directions to the Board.- The State Government may give the Board such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be duty of the Board to comply with such directions.

XX XX XX XX XX XX XX

<u>2020 का विधेयक सं.10</u>

¼izkf/kd`r fgUnh vuqokn½

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में नयी धारा 51-क, 51-ख, 51-ग और 51-घ का अन्त:स्थापन.- राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 51 के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 से पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

> "**51-क. बोर्ड को देय राशि की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली.-** जहां किसी परिसर या संपत्ति के संबंध में बोर्ड को संदेय कोई राशि, चाहे किसी अभिव्यक्त या विवक्षित करार के अधीन या अन्यथा, जैसा भी हो, बोर्ड के कार्यालय में या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नियत तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो ऐसी राशि व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति से बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) और तदधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबंधित रीति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

51-ख. बोर्ड के परिसर या संपत्ति पर अधिक्रमण या बाधा.- (1) जो कोई भी बोर्ड के या उसमें निहित किसी परिसर या संपत्ति पर, कोई अधिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) जो कोई भी बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी मार्ग में अस्थायी बाधा भी उत्पन्न करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अधिक्रमण कारित किया है।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबंधित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट परिसर या संपत्ति पर पाये गये यानों या, यथास्थिति, ऐसे परिसर या संपत्ति से संलग्न, या ऐसे परिसर या संपत्ति से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(5) जहां कोई संपत्ति बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट तत्काल बोर्ड को करेगा।

(6) जहां उप-धारा (4) के अधीन कोई संपत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां बोर्ड ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(7) उप-धारा (6) के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी संपत्ति के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है-

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर संपत्ति का अधिहरण करना प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध अधिकतम सात दिवस की कालावधि के भीतर एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर,

न दे दिया जाये।

(8) इस धारा के अधीन किसी अधिहरण का और किसी अधिक्रमण को हटाने का आदेश ऐसे किसी भी दण्ड को दिये जाने से नहीं रोकेगा जिसका प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

(9) बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर, उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(10) ऐसी अपील पर राज्य सरकार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के निपटारे के लंबित रहते आदेश के रोके जाने का निदेश दे सकेगा

या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा तथा ऐसा कोई और आदेश दे सकेगा जो उचित हो।

(11) जब कभी कोई संपत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब, ऐसी संपत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता बोर्ड या राज्य सरकार को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को नहीं होगी।

(12) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार, कि वह अपराध उसने नहीं किया है, उसी पर होगा।

(13) अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी बोर्ड का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अधिक्रमण करता है या अधिक्रमण में दूसरों की सहायता करता है, या ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(14) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई अन्वेषण पुलिस निरीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ऐसा अन्वेषण, आवास

आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा बोर्ड की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जायेगा और रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जायेगी।

(15) आवास आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके द्वारा बोर्ड के परिसर या संपत्ति पर अधिक्रमण किया जाना संभावित हो, ऐसा कोई अधिक्रमण करने से उसे रोकने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल करे और आवास आयुक्त की आशंका की युक्तियुक्तता के बारे में समाधान कर लेने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसके अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किये जाने की अपेक्षा करने में सक्षम होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया इस उप-धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होगी मानो ऐसी कार्यवाहियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 107 के अधीन कार्यवाहियां हों।

51-ग. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, बोर्ड या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित या पारित किये गये तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा करते समय निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसे आदेश या संकल्प को आस्थगित रखा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा करने और उप-धारा

(2) के अधीन आदेश पारित होने तक उसके बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी:

परन्तु किसी आदेश या किसी संकल्प से संबंधित कोई अभिलेख इस उप-धारा के अधीन ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा बोर्ड और इसके अधिकारियों और समितियों पर बाध्यकारी होगा।

51-घ. पुलिस अधिकारी की शक्ति.- (1) बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से अनिम्न रैंक का हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी राय में, बोर्ड के किसी परिसर या संपत्ति पर अधिनियम की धारा 51-ख या तदधीन किये गये किसी आदेश या बनाये गये नियमों या विनियमों में यथा उपबंधित, अधिक्रमण या बाधा से संबंधित कोई अपराध कर रहा हो, यदि उसको ऐसे व्यक्ति का नाम और पता मालूम नहीं हो तथा ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता बतलाने से इंकार करे या यदि ऐसे बतलाये गये नाम और पते के बारे में पुलिस अधिकारी को शंका करने का कारण हो, तो ऐसा व्यक्ति थाने पर तब तक निरुद्ध किया जा सकेगा जब तक कि उसका नाम और पता सुनिश्चित नहीं कर लिया जाये:

परन्तु किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाने के लिए आवश्यक समय या अधिकतम चौबीस घंटे से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(2) समस्त पुलिस अधिकारियों का यह भी कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम या तदधीन किये गये किसी आदेश, बनाये

गये नियम या विनियम के उपबंधों के विरुद्ध कारित अपराध के बारे में बोर्ड को तुरंत सूचना दें और बोर्ड या उसके किसी निकाय के समस्त सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करें।"।

3. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**60. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.-** (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में अभिहित किये जायें। बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में बोर्ड और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामले का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 राज्य में आवास स्थानों की व्यवस्था और आवश्यकता की पूर्ति करने के उपायों के लिए उपबंध करता है। इसके लिए, बोर्ड को राज्य में विभिन्न आवासन स्कीमें बनाने और निष्पादित करने की शक्ति न्यस्त की गयी है। बोर्ड उसमें निहित सरकारी भूमि पर, और उसके द्वारा विभिन्न कृषकों से अर्जित भूमि पर स्कीमें विकसित करता है। इन स्कीमों का विकास करने और इन्हें पूर्ण आकार और स्वरूप देने में लंबा समय लगता है। इन विकसित स्कीमों को स्थानीय निकायों को सौंपने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। इस कालावधि के दौरान इन संपत्तियों पर भू-माफिया और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिक्रमण किये जाने का जोखिम और संभावना रहती है। बोर्ड के परिसरों और संपत्ति पर ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने के लिए और अधिक्रमणकर्ता या बाधा पहुंचाने वाले को दण्डित करने के लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध विद्यमान नहीं है।

बोर्ड निर्मित गृहों का विकास करता है और आबंटितियों को भाड़ा-क्रय और किस्त के आधार पर आबंटन करता है। रियायतें देने तथा ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के बावजूद आबंटिती उनके द्वारा देय राशि जमा नहीं कराते हैं। बोर्ड के पास ऐसी रकम की वसूली के लिए कोई तंत्र नहीं है, जिससे राज्य के राजकोष को बहुत ज्यादा हानि होती है।

इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध भी नहीं है, जो बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता हो। ऐसे अभिलेख को परीक्षा के लिए मंगवाने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।

तदनुसार, नयी धारा 51-क, 51-ख, 51-ग और 51-घ का अंत:स्थापन करके अधिनियम में यथोचित संशोधन प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

बोर्ड द्वारा कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के प्रयोग के दौरान बोर्ड और राज्य के किसी अन्य विभाग के बीच कभी-कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में अंतिम न्यायनिर्णयन की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 60 यथोचित रूप से संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शान्ती कुमार धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

60. बोर्ड को निदेश देने की सरकार की शक्ति.- राज्य सरकार बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या समीचीन हो, और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

XX XX XX XX XX

<u>**2020 का विधेयक सं. 10**</u>

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 10 of 2020

THE RAJASTHAN HOUSING BOARD (AMENDMENT) BILL, 2020

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Housing Board Act, 1970.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(**Shanti Kumar Dhariwal**, **Minister-Incharge**)